

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड टोंक

क्रमांक:-वि.बो./2015-16/ 2110

दिनांक ..20/11/15

श्रीमान् जिला वन अधिकारी,
जिला टोंक।

विषय :- लिंक रोड दूनी आवां रोड से चांदली माताजी 5.00 कि.मी. के भूमि प्रत्यावर्तन के
क्रम में।

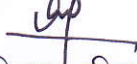
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में चाहे गये अन्य प्रमाण-पत्र संलग्न
कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का श्रम करें।

संलग्न :-

1. जिला स्तरीय समिति बैठक रिपोर्ट।
2. एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र (नवीनतम)।
3. उपखण्ड स्तरीय समिति बैठक रिपोर्ट।
4. ग्राम पंचायत प्रस्ताव (ग्राम पंचायत राजकोट)

भवदीय



(जी.एस. मीना)

अधिशाषी अभियन्ता,
राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
खण्ड - टोंक

कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक

क्रमांक:- एफ 12() वन अधिनियम/ 2006-08/ 10/6

दिनांक 19.11.2015

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and forests MoEF), Government of India's letter No. 11-09/98-FC(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and Completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional Forest dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 (FRA'. For short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's Letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.1 hectare of forest land 'proposed to be diverted in favour of Rajasthan state Agricultural Marketing Board Div. Tonk (name of user agency) for Const. of M/L Dooni Anwa Road to Chandli Mata ji Distt. Tonk (5.00km) (purpose for diversion of forest land) in Tonk district falls within jurisdiction of Chandli & Kanwarapura village(s) in tehsils Deoli

It is further Certified that:-

- (A) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.1 hectares of forest area proposed for diverted by Khasara no. 182 Area 2.1 hectare of gram bishanpura gram panchyat Rajkot. A Copy of records of all Consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s) Sub-Division Level Committeess (s) and the district level Committee are enclosed as annexure A no objection Certificate of Gram Panchayt Rajkot No. 146 Dated 5-10-15.
- (B) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given their Consent to it;
- (C) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural Communities

Encla.: As above


(Dr. Rekha Gupta)
District Collector, Tonk

जिला परिषद, टोंक (राज.) कार्यालय टिप्पणी

61-

आज दिनांक 19.11.2015 को जिला कलक्टर महोदया की अध्यक्षता में उनके कक्ष में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दूनी-आंवा रोड से चोंदली माताजी के निमाण में आने वाली 2.1 हैक्टर वन भूमि की ग्राम पंचायत राजकोट तहसील देवली के प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 02.10.2015 एवं उपखण्ड अधिकारी देवली के पत्रांक 1160 दिनांक 18.11.2015 द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु दी गई सहमति के क्रम में ग्राम बिसनपुरा ग्राम पंचायत राजकोट तहसील देवली के खसरा नम्बर 182 रकबा 2.10 हैक्टर सिवायचक, वन भूमि के प्रत्यावर्तन के 2.1 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड टोंक के पत्रांक 2079 दिनांक 06.11.2015 के द्वारा चाही गई सहमति दिये जाने की निर्णय लिया गया।

02-

19/11/15
(विष्णु केशरी प्रधान)
मण्डल वन अधिकारी
टोंक

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद टोंक

27
(डॉ० रेखा गुप्ता)
जिला कलक्टर
टोंक

03-

3/12/15
(श्री राधेश्याम मीणा)
जिला परिषद सदस्य
मुकाम पोस्ट काशीपुरा
तहसील-पीपलू

3/12/15
(श्री खेमराज मीणा)
जिला परिषद सदस्य
ग्राम पोस्ट निम्हेड़ा
तहसील-पीपलू

3/12/15
(सुश्री विजया मीणा)
जिला परिषद सदस्य
सल्ला की ढाणी, चांदसेन
तहसील-मालपुरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

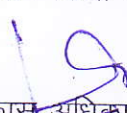
क्रमांक:- राजस्व/बैठक/2015/ 1160

दिनांक :- 18.11.15

बैठक कार्यवाही विवरण

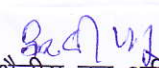
आज दिनांक 18.11.15 को प्रातः 11.00 बजे श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में उनके कक्ष में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के नियम-6 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिशाषी अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टोंक के पत्र क्रमांक 2076 दिनांक 06.11.15 बाबत मिसिंग लिंक दूनी-आवां रोड से चांदली माताजी के निर्माण में आने वाली 2.10 है० वन भूमि के बदले ग्राम बिसनपुरा (ग्राम पंचायत राजकोट) के खसरा नम्बर 182 रकबा 2.10 है० सिवायचक भूमि को वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन करने के लिए सहमति हेतु विचार-विमर्श किया गया। उक्त भूमि को वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत राजकोट तहसील देवली द्वारा भी प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 02.10.15 से सहमति प्रदान की है।

अतः सर्व सम्मति से निर्णय पारित किया गया कि वन भूमि के बदले ग्राम बिसनपुरा के सिवायचक खसरा नम्बर 182 रकबा 2.10 है० को वन विभाग की सहमति से नियमानुसार वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन किया जाता है, तो उपखण्ड स्तरीय समिति को कोई आपत्ति नहीं है।


विकास अधिकारी
पंचायत समिति देवली

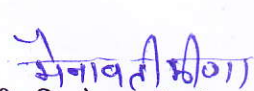

तहसीलदार
देवली


अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय समिति,
(वनाधिकार) एवं उपखण्ड अधिकारी
देवली


क्षेत्रीय वन अधिकारी
देवली


श्री रमेश मीणा
पं०स० सदस्य
पं०स० देवली


श्री जगदीश मीणा
पं०स० सदस्य
पं०स० देवली


श्रीमति मेनावती मीणा
पं०स० सदस्य
पं०स० देवली

कार्यालय ग्राम पंचायत राजकोट पं०स० देवली जिला टोंक राज.

क्रमांक - 146

दिनांक 5/10/15

श्रीमान् सहायक अभियन्ता ,
राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड टोंक ।

विषय:- मिसिंग लिंक दूनी आंवा रोड़ से
चान्दली माताजी के क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के
लिए ग्राम सभा की सहमति बाबत ।

प्रसंग:- आपका पत्रांक...155...दिनांक...28.9.15

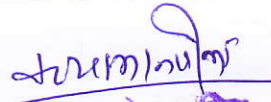
महोदय,

उपरोक्त विषय अनुसार ग्राम पंचायत राजकोट द्वारा ग्राम सभा
आयोजित कर प्रस्तावित मिसिंग लिंक दूनी आंवा रोड़ से चान्दली माताजी क्षेत्र में
आने वाली वन भूमि के लिए सहमति प्राप्त की जो अग्रिम कार्यवाही हेतु सलंगन
कर भिजवाई जा रही है ।

अतः सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 2.10 है० वन क्षेत्र
हेतु दिये जाने वाली सिफारिश की गयी है ।

सलंगन

ग्राम सभा द्वारा प्राप्त सहमति पत्र


ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत राजकोट
पं०स० देवली (टोंक)


सचिव
ग्राम पंचायत राजकोट
पं. स. देवली (टोंक)

कार्यालय ग्राम पंचायत राजकोट पं0स0 देवली जिला टोंक राज.

क्रमांक - 145

दिनांक 21/01/15

ग्राम पंचायत राजकोट द्वारा सरपंच श्रीमती सोना देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों को मिसिंग लिंक दूनी आंवा रोड़ से चान्दली माताजी के बारे में बताया गया। उसके निर्हित प्रावधानों एवं सड़क के निर्माण क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बारे में बताया गया एवं समस्त जानकारी दी गई। तत्पश्चात उनके निम्न प्रस्ताव लिये गये।

1- मिसिंग लिंक दूनी आंवा रोड़ चान्दली माताजी निर्माण क्षेत्र में आने वाली वन भूमि की प्रत्यावर्तन की सहमति दी जाती है।

2- मिसिंग लिंक दूनी आंवा रोड़ से चान्दली माताजी में आने वाली वन भूमि पर एस.टी. ओटी. एक्ट वन अधिकार नियम धारा 2/1 ई 2006 के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति, अन्य जन जाति, गैर परम्परा वनवासी एवं कृषक वर्गवास नहीं करता है एवं किसी भी व्यक्ति ने इस भूमि पर दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

3- मिसिंग लिंक दूनी आंवा रोड़ चान्दली माताजी के निर्माण के लिए वन विभाग की वन भूमि के लिए ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है उक्त प्रस्ताव सर्व सम्पत्ति से जनहित में लिया गया है तथा यह प्रस्ताव ग्राम सभा दिनांक 02/10/15 प्रस्ताव संख्या 15 के द्वारा अनुमोदन कर प्रस्ताव पारित किया गया।

गौरवराज
रामचाराइ

सोना देवी

रामलाल रामाशह

संगराम सिंह किवान

पन्ना लाल

सलंगन

मनमोहन

सुधानाथ

जुगराज सिंह

01/01/15

सरपंच

ग्राम पंचायत राजकोट
पं. स. देवली (टोंक)

कुंवर सिंह
रामचाराइ
न/1/40/15

सरपंच

ग्राम सभा द्वारा प्राप्त सहमति पत्र

जुगराज सिंह

हिम्मत सिंह

राज